निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 92 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार के माह 11/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13/12/2018 से 17/12/2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, श्री अक्षय कुमार सहायक लेखपरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 10/11/2017 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2 (i) - इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	41.65	31.29				10.35		
2017-18			112.45	109.21				3.23		
			83.82	65.43						

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “C” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, स्तर-I देहरादून
4. मुख्य अभियंता, स्तर-II, सिचाई विभाग, हरिद्वार
5. अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. मुख्य अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .....से ....का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह लागू नहीं तक की गई।

5. फार्म 51: माह तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ` - लागू नहीं

भाग द्वितीय ` -

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **लागू नहीं** के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	लागू नहीं
(ख)	सामग्री क्रय	
(ग)	नगद परिशोधन	
(घ)	निक्षेप	
(ङ)	भण्डार	

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर - 1 भूमि अधिग्रहण किये बिना एवं वन विभाग से वृक्षों के पातन हेतु NOC प्राप्त किए बिना ही अनुबंध गठित किये जाने की अनियमिता से कार्य मे विलंब |

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (12/2018) के दौरान समय वृद्धि संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान अनुबंध संख्या 01,02 एवं 03/ई ई /2016-17 से संबन्धित समय वृद्धि प्रकरणो का अवलोकन किये जाने पर संज्ञान में आया कि उक्त तीनों अनुबंध अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा जनपद हरिद्वार के जगजीतपुर ग्राम में स्थित सीवरेज प्लान्ट से रानी मजरा तक सिंचाई नहर निर्माण कार्य को टुकड़ों में विभाजित करते हुये एक ही दिन दिनांक 15.03.2017 को गठित किये जाने के साथ साथ कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि भी एक ही दिन दिनांक 16.06.2017 थी | ठेकेदारों द्वारा कार्य (अनुबंध संख्या 01/ई ई/2016-17) दिनांक **20.08.2017** को 66 दिन विलंभ से , (अनुबंध संख्या 02/ई ई/2016-17) दिनांक **08.04.2018** को यनि 297 दिन विलंब से ,एवं (अनुबंध संख्या 03/ई ई/2016-17) दिनांक **31.10.2017** को यनि 138 दिन विलंब से पूर्ण किये गये | अधीक्षण अभियन्ता द्वारा योजना के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान न होने के कारण स्थानीय कृषकों द्वारा कार्य का विरोध किये जाने तथा वन विभाग द्वारा वृक्षों के पातन हेतु NOC देने में विलंब के कारण वृक्षों का पातन समय से न होने के आधर पर ठेकेदारों को समय वृद्धि की स्वीकृति बिना किसी अर्थदण्ड के प्रदान की गई | उक्त तीनों अनुबंध एक ही कार्य के अलग अलग और एक समान लंबाई (650 मीटर) के चैनेज के होने, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि एक ही होने और कार्य विलंभ से पूर्ण करने का कारण एक ही होने के बाद भी कार्य अलग अलग समय यनि क्रमशः 66 दिन , 297 दिन एवं 138 दिन विलंब से पूर्ण किये जाने के उपरान्त भी किसी ठेकेदार के विरुद्ध अर्थदण्ड नही लगाया गया | उक्त कार्य के निष्पादन से पूर्व न तो मुआवजे का वितरण किया गया और न ही वन विभाग से वृक्षों के पातन हेतु NOC प्राप्त कर ली गई थी |

उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि कार्य मे विलंब मुख्यतः कृषकों का विरोध तथा वृक्षों के पातन हेतु अनुमति समय पर न मिलना है | अतः ठेकेदरों द्वारा कार्य पूर्ण करने में जान बूझ कर कोई विलंब नही किया गया | अतः कोई अर्थदण्ड आरोपित नही किया गया | अनुबंध गठित करने से पूर्व वन विभाग से NOC प्राप्त करने एवं मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में बतलाया कि योजना पर अनुबंध का गठन वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर लिया गया तथा

मुआवजे का वितरण धनावंटन किये जाने के उपरान्त ही किया गया तथा वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की गई जिस कारण समय लगा | एवं जहाँ तक कृषको के विरोध का प्रश्न है उक्त वृक्ष सिचाई विभाग की भूमि पर लगे हुए है।

कार्यालय का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योंकि कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग से NOC प्राप्त किये बिना एवं कृषको को मुआवजे का भुगतान किये बिना अनुबंध गठित करने से न केवल कार्य में विलंब हुआ बल्कि नहर निर्माण करने का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ यानि कृषकों को नहर से सींच का लाभ पहुंचाने में भी विलंब हुआ |

अतः भूमि अधिग्रहण किये बिना एवं वन विभाग से वृक्षों के पातन हेतु NOC प्राप्त किये बिना ही अनुबंध गठित किये जाने की अनियमिता और इस कारण कार्य मे विलंभ होने से कृषकों को सींच का लाभ समय पर न मिलने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लय जाता है |

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1.	46/2017-18	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार में अप्राप्त या, जिसकी अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को बाद में प्रेषित की जायेगी ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------ शून्य -----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   ....

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एस. सी. जोशी	अधीक्षण अभि.	विगत लेखापरीक्षा से 30/04/2018 तक।
2.	श्री आर. के. तिवारी	अधीक्षण अभि.	01/05/2018 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II